

अनुमोदन दिनांक : 17 Aug 2022

आवेदन क्रमांक : 86310707806816012022

1. सोसायटी का नाम ग्राम पंचायती संघिक इवारण पर्यावरण ब्लैक संबद्ध सामाजिक विकास और कल्याण समिति होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय ग्राम पंचायत 97, WARD NO.13, KISHANI MUHULLA, BARAYTHA ROAD 470335 तहसील Bandra जिला Sagar ग्राम प्रदेश में स्थित होगा।
सोसायटी का रोपक नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 8085679420 ईमेल आईडी mpk.society2021@gmail.com
3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होगे:-

- 1 विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभियुक्ति के लिये
- 2 विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जन-साधारण को अवगत करना।
- 3 तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पालीटेक्निक, हॉजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
- 4 प्राकृतिक, जीव विज्ञान एवं विजित्वा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। गांधी नर्सिंग, पौष्टीकीय, प्राकृतिक, वैदिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, शूष्मानी, एलोपैथिक विजित्वा की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- 5 वृत्तावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शूल, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय संस्थापित करना तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी रूपांत्रे प्रदान करने में सहयोग करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- 6 विज्ञक्षिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- 7 ज्योतिष शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। ज्योतिष के क्षेत्र में वृत्तीन अनुसंधान, वैदेशशास्त्र एवं कार्यशाला के माध्यम से ज्योतिषशास्त्र में सर्वानीष्ठ विकास हेतु कार्य करना।
- 8 संस्कृत शिक्षा, वैदिक शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- 9 शारीरिक, परंपरागत योग बालक-बालिकाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को नीतिक एवं शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना।
- 10 राजनीतिक, नीतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- 11 संधर्षण तथा कला हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
- 12 सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में बहुओं की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के बहुओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
- 13 बेरोजगार नवजुगानों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुचिता मुहैया करना।
- 14 स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों जैसे साक्षरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।
- 15 शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा रुचान विशेषज्ञ: प्रौढ़ शिक्षा में पैदा करने हेतु जागरूकता शिविर/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- 16 आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप दूरवर्ती शिक्षा संचार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागी बनना तथा नई खोज को बढ़ावा देना।
- 17 सूचना प्रौद्योगिकी प्राप्ति को जन-जन तक पहुंचाना एवं कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 18 साहित्य, कला, संगीत से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना।
- 19 उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये कार्य करना।
- 20 राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के विद्यालय, प्रशिक्षण, संस्थान आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
- 21 सरस्यों के साधारण उपयोग के लिये या जनता के लिये खुले रहने वाले पुस्तकालयों या याचनालयों के प्रतिष्ठापन या अनुरक्षण के लिये;
- 22 समाज के बीद्रिक एवं नीतिक विकास हेतु याचनालय, पुस्तकालय तथा पुस्तकालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
- 23 पुस्तक एवं अन्य कला संबंधी प्रशिक्षणी आयोजित करना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलित याचनालय द्वारा व्यक्ति में पढ़ने की आवत विकसित करना।
- 24 वित्रकारी तथा अन्य कालानुसियों की विधिकाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये प्रयास करना।
- 25 लोक संग्रहालयों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये कार्य करना।
- 26 प्रकृति विज्ञान, यांत्रिक तथा दार्शनिक आविष्कारों, उपकरणों या परिकल्पनाओं के संग्रहण के लिये।
- 27 औपचार्य पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों परा आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- 28 एवं उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- 29 बनस्पति एवं घृषि विज्ञान की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों परा आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- 30 ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवकों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा भल्गरांव्यक्ति) को आदमिनिर्भर बनाने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण,
- 31 योजनाओं का संचालन करना।
- 32 युवाओं तथा महिलाओं के व्यवसाय विकास हेतु केरियर कार्डनिसिंग एवं गाइडेन्स सेवा प्रदान करना।



33	तशामुकि तथा पूर्व संबंधी जानकारी प्रदान करना तथा ऐनव समाप्ति करना।
34	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, दीकानारण शिविर, रत्नाल सेवा, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन करना।
35	लोगों में स्वास्थ्य औं पति जागरूकता उत्तम करने हेतु योजनाओं का संचालन करना एवं आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना व उसका प्रबंध संचालन करना।
36	अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु शासन वी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
37	महिलाओं, बच्चों, नृद्वारा, असहाय, सामाजिक, सूची वर्षी, सूची शैयाडी, विकलांगों, पिछड़े इलाजों, पहाड़ी लोगों, दूरवर्ती लोगों, सीमावर्ती औद्योगिक लोगों के लोगों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग कर उनका सार्वीण विकास करना।
38	समाज के सभी विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पैदल, जन संरक्षण, सिचारी, भूगि तुम्हार पक्षुति सांगा संरक्षण, बन्ध जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, बुद्धारोपण की तहत जागरूकता लाना।
39	समाज में ही रहे अत्याचार, बाल विवाह, वहेज पथा आदि के रोकथान के लिये अभियान चलाना, जन जागरूकता स्थापित करना।
40	तशामुकि, परिवार परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी मोन्ट वी स्थापना करना एवं सामाजिक उत्तम तथा समाज में आम सुनीतियों, जातिगत भेदभाव की जन जेतना शिविर के माध्यम से तूर करना।
41	कौशल विकास केन्द्रों एवं ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना व संचालन करना।
42	उर्जा के बेन व जल संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
43	गी रखा, गी पालन को बढ़ावा देना तथा पशुपत्रियों के संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
44	शार्मिक या खैराती प्रयोजन, जिसके अन्तर्गत ईनिक अनाधी के कल्याण, राजनीतिक पीड़ितों के कल्याण और वैसे ही व्यक्तियों के कल्याण के लिये, विभिन्नों की स्थापना आती है, के सम्पर्कता के लिये।
45	राष्ट्रीय, शार्मिक, सामाजिक द्योहराएं पर सारनुकित कार्यक्रम का आयोजन करना।
46	महापुरुषों के आदर्श उपदेशों का प्रचार-प्रसार करना तथा उनके अदाये पर चलने हेतु आमजन को प्रेरित करने का प्रयास करना।
47	वैदिक पाठशाला का संचालन करना एवं वेदों का प्रचार-प्रसार करना।
48	व्याकाम, विद्या की प्रोत्साहन के लिये।
49	राज्य सरकार द्वारा कोन्कीय सरकार प्रायोजित विभिन्न स्कूलों मी प्रोत्साहन तथा उनका क्रियान्वयन।
50	केन्द्र तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन करवाना तथा प्रशिक्षण आयोजित करना तथा समाज के सभी वर्गों की जानकारी प्रदान करना।
51	शैक्षणिक बच्चाओं, बेटी बच्चाओं विभिन्न विद्यालयों, स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समाज स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करना।
52	हाथकेरवा उद्योग द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओं का प्रचार-प्रसार करना एवं हाथ करवा उद्योग में आगे बाली विठ्ठाइयों को दूर करने का प्रयास करना।
53	रास्था खादी एवं आमोद्योग के वर्णित प्रयोजनों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण देना।
54	ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित माल, जिसमें खादी तथा गाम उद्योग भी सम्भिलित है, के प्रचार-प्रसार का प्रयास करना।
55	हथकर्त्ता एवं हस्तशिल्प, रंगाई ल्प्पाई, खादी, नृद्वार उद्योगों को बढ़ावा देना।
56	कपास से धागा बनाना, धागे से कपड़ा एवं अन्य उपयोगी शामिल जगत का तकनीकी प्रशिक्षण तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर व रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु प्रशिक्षण देना।
57	वाणिज्य, उद्योग तथा खादी की प्रोत्साहन
58	ग्रामीण विकास हेतु शिखण-प्रशिक्षण हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना।
59	ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज के अनुकूल धारा उत्थान के लिये कार्य करना।
60	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, अमंत्रालय, सामाजिक व्यापार अधिकारिता मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण, कृषि मंत्रालय, नगरीय प्रशासन पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।
61	योग, वैदिक योग, ध्यान केन्द्रों का संचालन करना। लोगों को योग के महत्व को समझाना। जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। निर्धन, बेसहारा, उपेशित खेल एवं योग प्रशिक्षकों एवं उनके परिवारों को हर संभव मदद करना।
62	योग, सूर्य नमस्कार को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
63	ध्यान-योग, प्राणायाम प्रशिक्षकों का समय-समय पर सम्मान करना।
64	योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को प्रमाण पत्र देना।
65	खेल एवं योग से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को संचालित करना।
66	दहेज प्रधा, बालविवाह, धूप हस्ता जैसे दुर्घट्यों से समाज को अवगत करना तथा उन्हें दूर करने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।
67	(OTHER) नृशंशी, हैंकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, बेस-बॉल, बॉल बैडमिंटन, टेक्कल, टेनिस, मलखान, फरसत, भारोत्तोलन, कबड्डी, खो-खो, तीरंदाजी, भाला फेंक, गोला फेंक, चक्री फेंक, तलवारबाजी, तैराकी, निशानेबाजी, छुड़सवारी तथा रथ सवारी, शतरंज, जूडो, कराटे, जूडो कराटे, किक बॉक्सिंग, मुझेबाजी, ताइकांडो, रस्सी जूद, पतंगबाजी, नृत्य का प्रशिक्षण प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करनाना।
4.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (फार्मां 44 सन् 1973) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति संगम जापन के साथ फाईल की गई है। हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, परे, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम जापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और साथी की उपस्थिति में हमने जापन पन्न पर विवरण दिए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच व्यस्त किया गया है जो नीचे विनिर्दिष्ट है-

अनुक्रमांक (1)	पिता/ पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम (2)	पूरा पता (3)	जन्मतिथि/ आयु (4)	मोबाइल नंबर (5)	उपजीविका (6)	तदर्थ शासी निकाय में पद धारित करने की दशा में पदनाम (7)	हस्ताक्षर (8)
1	ABHA JAIN / JAY KUMAR JAIN	97, WARD NO.13, Banda, Sagar, Madhya Pradesh	04/09/1971	8269340303	BUSNIESS	अध्यक्ष	Signature valid Signed by: Adhyaksh on 8/21/2022 5:48:36 PM
2	JAY KUMAR JAIN / PRAKASH CHAND JAIN	97, WARD NO.13, Banda, Sagar, Madhya Pradesh	20/10/1968	8085679420	BUSNIESS	उपाध्यक्ष	Signature valid Signed by: Up Adhyaksh on 8/21/2022 5:49:53 PM
3	SATISH JAIN / JAY KUMAR JAIN	80,NETAJI SUBHASH CHANDRA WARD H.NO.71 TO 111, WARD NO.13, Banda, Sagar, Madhya Pradesh	20/05/1994	7869622202	TEACHER	सचिव	Signature valid Signed by: Sechiv on 8/21/2022 5:51:46 PM
4	SAMEEKSHA JAIN / SATISH JAIN	97, WARD NO.13, Banda, Sagar, Madhya Pradesh	28/09/1998	8319627476	BUSNIESS	कोषाध्यक्ष	Signature valid Signed by: kosh Adhyaksha on 8/21/2022 5:53:13 PM
5	ARPIT JAIN / JAY KUMAR JAIN	97, WARD NO.13, Banda, Sagar, Madhya Pradesh	12/03/1997	8770145270	SERVICE	संयुक्त सचिव	Signature valid Signed by: sanyukt sachiv on 8/21/2022 5:56:36 PM
6	ANKIT JAIN / JAY KUMAR JAIN	97, WARD NO.13, Banda, Sagar, Madhya Pradesh	30/05/1998	9131485258	BUSNIESS	सदस्य	Signature valid Signed by: sanyasya on 8/21/2022 6:00:12 PM

7	ATUL JAIN / JAY KUMAR JAIN	97, WARD NO.13, Banda, Sagar, Madhya Pradesh	24/10/1999	9993564396	ENGINEER IT	Sagar	Signature valid Signed by sasasya on 8/21/2022 6:02:08 PM
---	----------------------------------	---	------------	------------	----------------	-------	---



सोसायटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें

नामांकन क्रमांक SBIN0006159147520072022335174

नियमाबली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card

पहचान पत्र का क्रमांक AZNPJ7239E

पते का क्रमांक RBQ0977124

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

Signature valid

Signed by Witness on
8/21/2022 6:05:26 PM

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-

साक्षी का नाम :- SANTOSH KUMAR JAIN

साक्षी का पिता/पति:- PRAKASH CHAND JAIN

पूर्ण पता :- 80, WARD NO.12, BARAYTHA ROAD,
BANDA

साक्षी का मोबाइल नंबर :- 9755474925

साक्षी का ईमेल आईडी :- mpk.society2021@gmail.com

हम सत्यापित करते हैं।

सोसायटी के पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शी बिन्दु

1 जापन पत्र में निर्धारित स्थान पर समस्त निर्भागिकर्ताओं एवं साक्षी के हस्ताक्षर/E-Sign यथा स्थान होना चाहिये।

T.C.
10/09/2022
अजय खरे
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एण्ड सोसायटीज
सागर (म.प्र.)

प्रृष्ठा-1 क
(निम्न 3 देखिए)
(सोसायटी की उप-विधिवां)

बदेश क्रमांक : SS310707805815012022

बनुभोदन दिनांक : 17 Aug 2022

1. सोसायटी का नाम आगे पितृ कृपा भौतिक स्वास्थ्य पर्यावरण बेल संबद्ध सामाजिक विकास और कल्याण समिति होगा।
2. सोसायटी का इधान कार्यालय मकान क्रमांक 97, WARD NO.13, KISHANI MUHULLA, BARAYTHA ROAD 470335 तहसील बंडा विलास नगर नगर पालिका में स्थित होगा। सोसायटी का इधान क्रमांक(अध्यक्ष/सचिव) 8085679420 एवं ईमेल आईडी mpk.society2021@gmail.com
3. संस्था का कार्यक्रम संपूर्ण विच्छ होगा।
4. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होगे:-
1. विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या सन्तित कलाओं की अधिकृदि के लिये
2. विज्ञान के इचार-इसार हेतु कार्य करना तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जन-माध्यारण को ब्रवगत करना।
3. तकनीकी शिक्षा के इचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पॉनीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन करना। साथ ही तकनीकी शिक्षा में योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इकूलिक, बीच विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। साथ ही नर्सिंग, पैरामेडीकल, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, दूनानी, एलोपैथिक चिकित्सा की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
4. हेमोपैथिक, दूनानी, एलोपैथिक चिकित्सा की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
5. व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु सूकूल, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित करना तथा प्रशिक्षित दरकार दरकार संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
6. विज्ञान, शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
7. बूद्धिमत्त शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। ज्योटिष के क्षेत्र में नवोन्न अनुसूचित, वैद्यनालय एवं कार्यशाला के माध्यम से ज्योतिषशास्त्र के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना।
8. स्कूल शिक्षा, वैदिक शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
9. उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
10. उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
11. सूकूल कला हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
12. सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में दब्बों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं समाज के गरीब परिवार के दब्बों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु चहोरों प्राप्त करना।
13. दरोवजार नवदुव्वकों एवं दुवदियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और दोवचारन्तु शिक्षा दथा स्वदरोवजार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया कराना।
14. स्कूलों, कॉलेजों दथा अन्य प्राचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे-साक्षरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।
15. शिक्षा के प्रचार-प्रसार उद्योग रूझान विशेषतः प्रौद्योगिक शिक्षा में पैदा करने हेतु जागरूकता शिविर/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
16. अधृत अवृद्ध कदाओं के अनुरूप दूरवर्ती शिक्षा संचार तथा पत्राचार आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहमार्ग बनाना तथा नई खोज को बढ़ावा देना।
17. नृकना औद्योगिकी क्रांति को जन-जन तक पहुंचाना एवं कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।
18. साहित्य, कला, संशोध से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना।
19. उपरोक्त ज्ञान के प्रसार के लिये कार्य करना।
20. राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण, संस्थान आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
21. सदस्यों के साक्षात् उपरोक्त ज्ञान के लिये या जनना के लिये बुले रहने वाले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठापन या अनुरक्षण के लिये;
22. समाज के बौद्धिक एवं नीतिक विकास हेतु वाचनालय, पुस्तकालय तथा पुस्तकालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
23. पुस्तक एवं अन्य कला संबंधी प्रदर्शनी आयोजित करना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलित वाचनालय द्वारा व्यक्ति में पढ़ने की आदत विकसित करना।
24. चित्रकारी दथा अन्य कलाकृतियों की वीथिकाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये प्रयास करना।
25. लोक संदर्भालयों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये कार्य करना।
26. प्रृष्ठा विज्ञान, यांत्रिक दथा दार्शनिक आविष्कारों, उपकरणों या परिकल्पनाओं के संग्रहण के लिये।
27. श्रीयशील योग्यों की बेटी को श्रोत्ताद्वित करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
28. एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।



29	बनस्पति एवं धूषि विज्ञान की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
30	सामाजिक कल्याण के सम्बन्धता के लिये।
31	ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवकों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्पसंख्यकों) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, योजनाओं का संचालन करना।
32	युवाओं तथा महिलाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु केरियर काउंसिलिंग एवं गाइडेन्स सेवा प्रदान करना।
33	नशामुक्ति तथा एड्स संबंधी जानकारी प्रदान करना तथा केन्द्र स्थापित करना।
34	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन करना।
35	लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु योजनाओं का संचालन करना एवं आवश्यकता अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना व उसका प्रबंध संचालन करना।
36	अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु शासन की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
37	महिलाओं, बड़ों, बृद्धों, असहाय, ग्रामीणों, सुगंी बस्ती, सुगंी झोपड़ी, विकलांगों, पिछड़े इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, दूरवर्ती क्षेत्रों, सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग कर उनका सर्वांगीन विकास करना।
38	समाज के समग्र विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जन संरक्षण, सिंचाई, भूमि सुधार प्रकृति संपदा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, खाद संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के तहत जागरूकता लाना।
39	समाज में हो रहे अत्याचार, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि के रोकथाम के लिये अभियान चलाना, जन जागरूकता स्थापित करना।
40	नशामुक्ति, परिवार परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी केन्द्र की स्थापना करना एवं सामाजिक उत्थान तथा समाज में व्याप कुरीतियों, जातिगत भेदभाव को जन चेतना शिविर के माध्यम से दूर करना।
41	कौशल विकास केन्द्रों एवं ड्रेनिंग सेन्टर्स की स्थापना व संचालन करना।
42	ऊर्जा के क्षेत्र व जल संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
43	गौर रक्षा, गौ पालन को बढ़ावा देना तथा पशुपक्षियों के संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
44	प्रतिमिक या खैराती प्रयोजन, जिसके अन्तर्गत सैनिक अनाथों के कल्याण, राजनैतिक पीडितों के कल्याण और वैसे ही व्यक्तियों के कल्याण के लिये, निधियों की स्थापना आती है, के सम्बन्धता के लिये।
45	राष्ट्रीय धर्मिक, सामाजिक त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।
46	महापुरुषों के आदर्श उपदेशों का प्रचार-प्रसार करना तथा उनके बताये मार्ग पर चलने हेतु आमजन को प्रेरित करने का प्रयास करना।
47	वैदिक पाठशाला का संचालन करना एवं वेदों का प्रचार-प्रसार करना।
48	व्याधाम, विद्या की प्रोत्तरी के लिये।
49	राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोत्तरी तथा उनका क्रियान्वयन।
50	केन्द्र तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन करवाना तथा प्रशिक्षण आयोजित करना तथा समाज के सभी वर्गों की जानकारी प्रदान करना।
51	शैक्षालय बनवाने, बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ, स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समग्र स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करना।
52	हाथ करघा उद्योग द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओं का प्रचार-प्रसार करना एवं हाथ करघा उद्योग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना।
53	संस्था खादी एवं ग्रामोद्योग के वर्णित प्रयोजनों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण देना।
54	ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित माल, जिसमें खादी तथा ग्राम उद्योग भी सम्मिलित है, के प्रचार-प्रसार का प्रयास करना।
55	हथकरघा एवं हस्तशिल्प, रंगाई छपाई, खादी, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
56	कपास से धागा बनाना, धागे से कपड़ा एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने का तकनीकी प्रशिक्षण तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर व रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु प्रशिक्षण देना।
57	वाणिज्य, उद्योग तथा खादी की प्रोत्तरी
58	ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण हस्तशिल्प प्रशिक्षण व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना।
59	ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिये कार्य करना।
60	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण, कृषि मंत्रालय, नगरीय प्रशासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।
61	योग, वैदिक योग, ध्यान केन्द्रों का संचालन करना। लोगों को योग के महत्व को समझाना। जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। निर्धन, बेसहारा, उपेक्षित खेल एवं योग प्रशिक्षकों एवं उनके परिवारों को हर संभव मदद करना।
62	योग, सूर्य नमस्कार को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
63	ध्यान-योग, प्राणायाम प्रशिक्षकों का समय-समय पर सम्मान करना।
64	योग स्कूल खोलना। योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को प्रमाण पत्र देना।
65	खेल एवं योग से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को संचालित करना।
66	दहेज प्रथा, बालविवाह, धूप हत्या जैसे दुष्कृत्यों से समाज को अवगत कराना तथा उन्हें दूर करने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।

67	<p>(OTHER) कुश्ती, हाँफी, बैडमिंटन, क्रिकेट, बेस-बॉल, बॉल बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, मलखान, कसरत, भारोत्तोलन, कबड्डी, खो-खो, तीरंदाजी, भाला फेंक, गोला फेंक, चकरी फेंक, तलवारवाजी, तौराकी, निशानेवाजी, शुड़सवारी तथा रथ सवारी, शतरंज, जूड़ो, कराटे, जूड़ो कराटे, किक बॉम्बिंग, मुझबाजी, ताइकांडो, रस्सी कूद, पतंगवाजी, नृत्य का प्रशिक्षण प्रशिक्षण देना व उक्त खेल हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाना।</p>
5.	<p>सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-</p> <p>(क) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।</p> <p>(ख) आजीवन सदस्य वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।</p> <p>(ग) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके के लिए वह अंशदान का भुगतान करता है।</p> <p>(घ) मानद सदस्य- सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे भतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।</p>
6.	<p>सदस्यता की करना-प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।</p>
7.	<p>सदस्यता के लिए अहंता- सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अहंताएं अनिवार्य हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 2. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 3. उसे सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसार करता हो। 4. सदस्यता की समाप्ति न करता हो।
8.	<p>सदस्यता की समाप्ति- सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सूत्यु हो जाने पर। 2. पापल हो जाने पर। 3. नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदान जमा करने में असफल रहने पर। 4. त्याग पत्र देने पर, यदि स्वीकृत हो जाता है तो। 5. कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय। ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।
9.	<p>सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर 2. रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख। 3. सदस्यता की समाप्ति की तारीख।
10.	<p>(क) साधारण सम्मिलन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाएं गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनियमित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।</p> <p>(ख) प्रबंधकारिणी समिति- प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।</p>
11.	<p>साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व-</p> <p>एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना।</p> <p>दो. सोसायटी की स्थाई नियमों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना।</p> <p>तीन. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना।</p> <p>चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए।</p> <p>पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना।</p> <p>छ. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।</p>
12.	<p>प्रबंधकारिणी समिति का गठन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनियमित सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे:-</p> <p>(1) अध्यक्ष 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोपाध्यक्ष 1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)सदस्य 2</p>
13.	<p>प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल: प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।</p>
14.	<p>प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व-</p> <p>(क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है।</p> <p>(ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्पूर्ण रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना।</p> <p>(ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना।</p> <p>(घ) आवश्यक कर्मचारिवृद्धि शिक्षकों की नियुक्ति करना।</p> <p>(ङ.) ऐसे आवश्यक कृयों का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं।</p> <p>(च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विकीर्त नहीं की जाएगी।</p> <p>(छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सम्मिलन के समक्ष रखा जाएगा। संशोधनों के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।</p>

15.	अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त समिलन तथा साधारण समिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण समिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णयक मत देने का अधिकार होगा।
16.	उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष को अनुपरिधि में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण समिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शर्तें का प्रयोग भी करेगा।
17.	सचिव के अधिकार-
	(क) जब कभी भी आवश्यक हो, साधारण समिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के समिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना।> (ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्रम द्वारा सम्मान रूप से संपरीक्रित किए जाने के पश्चात् साधारण समिलन के समय प्रस्तुत करना। (ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सचिव के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समस्त रखी जानी चाहिए। (घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा।
18.	संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपरिधि में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
19.	कोषाध्यक्ष के अधिकार- सोसायटी के लेखाओं का साधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्मान रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।
20.	बैंक खाता- सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट अग्रिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा दिया जाएगा। ऐनिक खर्च के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21.	रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी- मध्यप्रवेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्रलूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्तिक साधारण समिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी। उस अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्रित लेख, प्रतिवार्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगी।
22.	विभाग- सोसायटी द्वारा, उपरिधित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विभाग का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया, यदि अधिनियम के उपबंधों ने अनुकाम हो तो निष्पादित की जाएंगी।
23.	सम्बन्धित समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की संतुलित अनुज्ञा के बिना विक्रय, वान या अन्यथा द्वारा व्यवस्थित या अविंत नहीं की जा सकेंगी। इस नियमानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्रलूप-एक को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर (Signature valid)

Signed by: Adhyaksh/Member
अध्यक्ष / सचिव 8/21/2023 5:40:11 PM

हस्ताक्षर (Signature valid)

Signed by: Sachiv/Member
सचिव / सदस्य 8/21/2023 5:44:07 PM

हस्ताक्षर (Signature valid)

Signed by: koshesh
Adhyaksha/Member on
8/21/2022 5:46:40 PM

T.C.
20/10/2022
अजय खरे
अरिस्टेट रजिस्ट्रार
फर्म्स एण्ड सोसायटीज
सागर (म.प्र.)

8



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BS 277347



प्रमाणित प्रतिलिपि
संस्था का नाम छात्रवृक्ष स्वास्थ्य परिषद् रेल सेवक समिति
संस्था का पता भ.गंगुलीनो १३ किसान चूर्हला बारपाड़ा रोड
काशी बैली जिला सोबर
पंजीयन क्रमांक 14306 दिनांक 24/8/2022
के ज्ञापन पर/सिपाही अधिकारी
को नक्त के साथ एह स्वास्थ्य संस्था

24/8/2022
स्वास्थ्य परिषद्
मध्य प्रदेश सरकार सेवक समिति



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BG 169049



प्रमाणित प्रतिलिपि
संस्था का नाम झारपत्र झांडियास्वाहन्य परिषिका खेतसंबन्ध सामाजिक विकास
संस्था का पता म.न. ७७ वडा नं. १३ कुसान मुहर्ला वारायडा शेड
लोडा ज़िला सागर
पंजीयन क्रमांक 14306 दिनांक 24/8/2022
के ज्ञापन पत्र/नियमावली/प्रमाण पत्र/
की नकल के साथ यह स्टाम्प संलग्न है।

संहायक पंजीयक
कर्मसु एवं संस्थाएँ, सागर संभाग सागर
24/8/2022